



बिहार सरकार
फॉर्म-X(क)

क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र
पिछड़ा वर्ग /अत्यंत पिछड़ा वर्ग हेतु
(बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ)
कार्यालय का नाम अंचल कार्यालय - बाबूबरही

प्रमाण-पत्र संख्या : NCLCO/2023/629661

दिनांक : 13/09/2023

प्रमाणित किया जाता है कि आनंद सागर(Anand Sagar), पिता-रामबिलास साहू(Rambilas Sahu), माता-रेणुका देवी(Renuka Devi), ग्राम/मोहल्ला-Bardahi, पोस्ट-Bardaha, थाना- बाबूबरही, प्रखंड-बाबूबरही, अनुमंडल-मधुबनी, जिला-मधुबनी, राज्य बिहार तेली समुदाय के सदस्य हैं, जो बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम 1991 समय - समय पर यथासंशोधित अधिनियम के अंतर्गत बिहार राज्य की अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) में अनुक्रमांक 126 पर अंकित है। अतः आनंद सागर, पुत्र- रामबिलास साहू, माता-रेणुका देवी अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) का है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या-36012/22/1993 स्था० (एस०सी०टी०) दिनांक 08-09-1993, (समय-समय पर यथा संशोधित) के स्तम्भ -3 में वर्णित व्यक्ति / वर्ग (क्रीमी लेयर) के अंतर्गत नहीं आते हैं।

स्थान : बाबूबरही

दिनांक : 13/09/2023



राजस्व अधिकारी बाबूबरही
(हस्ताक्षर)

QR Code की जाँच <https://serviceonline.bihar.gov.in> पोर्टल एवं Play Store पर उपलब्ध ServicePlus Mobile App से करें।
नोट: यह दस्तावेज DigiLocker पर भी उपलब्ध है।